बिहार सरकार,

कृषि विभाग

पत्र सं०– DoH/SS/34/2025-प्रशाखा-19(प०प०एम०)-103-/कृ०, पटना दिनांक 06.08.,2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप से परामर्शित

#द्वारा– वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय– **राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2025–26 में आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद लेडी रोसेटा का क्षेत्र विस्तार की योजना हेतु कुल 488.08760 लाख (चार करोड़ अट्ठासी लाख आठ हजार सात सौ साठ) रूपये मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2025–26 में आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद लेडी रोसेटा का क्षेत्र विस्तार की योजना हेतु कुल 488.08760 लाख (चार करोड़ अट्ठासी लाख आठ हजार सात सौ साठ) रूपये मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार में आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद लेडी रोसेटा का क्षेत्र विस्तार कर उसके उत्पादन में वृद्धि करना तथा प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर कृषकों के आय में वृद्धि करना है।

3. विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा के आलोक में नवादा जिला को सम्मिलित करते हुए आलू के लेडी रोसेटा प्रभेद के क्षेत्र विस्तार से संबंधित योजना/कार्यक्रम राज्य के कुल 17 जिलों यथा–औरंगाबाद, बाँका, बेगूसराय, भागलपुर, गया, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, नालन्दा, नवादा, पटना, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सिवान एवं वैशाली में कार्यान्वित करायी जायेगी।

4. इस योजना का कार्यान्वयन अनुसूची–01 के अनुसार रबी मौसम में कराया जायेगा।

5. योजना का कार्यान्वयन आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद लेडी रोसेटा प्रभेद के उत्पादन हेतु अनुमोदित प्रत्यक्षण/बीज उत्पादन मॉडल के आलोक में किया जायेगा, जो अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है।

6. आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद लेडी रोसेटा की खेती हेतु प्रति हेक्टेयर बीज दर 30 क्विंटल है। अनुमानित बीज मूल्य 4,000.00 रूपये प्रति क्विंटल/वास्तविक बीज मूल्य दोनों में से जो कम होगा, पर कृषकों को बीज उपलब्ध करायी जायेगी। प्रति हेक्टेयर अनुमानित

इकाई लागत बीज मूल्य सहित 1,25,150.00 रूपये मात्र पर 75 प्रतिशत यानि 93,863.00 रूपये मात्र प्रति हेक्टेयर की दर से अनुसूची–2 के अनुसार अनुदान दो किस्तों में 75:25 के अनुपात में दिया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में 70,397.00 रूपये इनपुट एवं उपादान क्रय के लिए तथा द्वितीय किस्त के रूप में 23,466.00 रूपये प्रति हेक्टेयर आलू रोपाई उपरांत स्थल निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात् दी जायेगी।

आलू बीज का वास्तविक मूल्य 4000/–रूपये से कम होने पर अनुदान राशि की गणना वास्तविक मूल्य पर की जायेगी तथा कम हुई राशि द्वितीय किश्त की राशि से कटौती कर ही शेष देय अनुदान राशि का भुगतान किसानों को किया जायेगा।

रबी मौसम में आलू की खेती माह अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवम्बर के द्वितीय सप्ताह तक सफलतापूर्वक किया जाता है। रबी मौसम में आलू के लेडी रोसेटा प्रभेद के क्षेत्र विस्तार हेतु टिश्यू कल्चर द्वारा संवर्धित प्रजनक बीज (G-3) किसानों को संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। बिहार बागवानी विकास सोसाईटी द्वारा आमंत्रित ई–निविदा के माध्यम से निर्धारित L_1 दर पर संबद्ध एजेन्सियों के माध्यम से नियमानुसार बीज की आपूर्ति की जायेगी।

7. इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का DBT पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक होगा। विभागीय वेबसाईट http://horticulture.bhar.gov.in पर उपलब्ध "योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन करें" लिंक पर click कर Dashboard पर उपलब्ध "सब्जी एवं मसाले से संबंधित योजना" टैब पर click कर "आवेदन करें" लिंक पर जाकर "आलू लेडी रोसेटा का क्षेत्र विस्तार योजना" टैब पर click कर आवेदन किया जायेगा। योजनान्तर्गत कृषकों का चयन ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर किया जायेगा। गैर–रैयत कृषक द्वारा भी संलग्न अनुसूची–3 के विहित् प्रपत्र में वांछित सूचना उपलब्ध कराते हुए योजनान्तर्गत लाभ लिया जा सकता है।

8. इस योजना का लाभ न्यूनतम 0.10 हेक्टेयर तथा अधिकतम 2 हेक्टेयर तक दिया जायेगा।

9. उद्यान निदेशालय द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा।

10. वित्त विभागीय पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची–1 के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से BTC Form-25 पर CFMS की विहित रीति से निकासी की जायेगी।

11. योजना संबंधित बजट उपबंध काटिवार 78.537 : 20 : 1.463 के अनुपात में होने के कारण लाभुकों का चयन सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्रमशः अनुपात 78.537 : 20 : 1.463 में किया जायेगा। सभी कोटि में 30 प्रतिशत महिला कृषकों को प्राथमिकता दिया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा बिहार वित्तीय नियमावली 2005 (यथा संशोधित) के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजना अंतर्गत व्यय किया जायेगा।

13. योजना कार्यान्वयन के क्रम में यथावश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अधीन किया जायेगा।

14. यह अनुदान की योजना है। इसमें मानव दिवस का सृजन संभावित नहीं है।

15. महालेखाकार (ले० एवं ह०) को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

16. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक उद्यान, बिहार होंगे।

17. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या–01, उप शीर्ष 0101–उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01–2401001190101, विषय शीर्ष 0101–33–01 सब्सिडी।	19084.490	383.32935
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–01, उप शीर्ष–0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01–2401007890130, विषय शीर्ष 0130–33–01 सब्सिडी।	4860.000	97.61752
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या–01, उपशीर्ष 0152–उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01–2401007960152, विषय शीर्ष 0152–33–01 सब्सिडी।	355.510	7.14073
कुल	**24300.000**	**488.08760**

18. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 एवं पत्र संख्या–201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा दिनांक 25.07.2025 को आयोजित बैठक में प्राप्त है एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या–DoH/SS/34/2025 के पृष्ठ संख्या–20/टि० पर दिनांक–05.08.2025 को प्राप्त है।

19. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

20. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–DoH/SS/34/2025 के पृ0सं0–20/टि0 पर दिनांक–01.08.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–596 दिनांक–01.08.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/SS/34/2025-प्रशाखा-19(पी०बी०एम०)-103/कृ०, पटना दिनांक-06.08.,2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/SS/34/2025-प्रशाखा-19(पी०बी०एम०)-103/कृ०, पटना दिनांक-06.08.,2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\YOGNA 2025-26\Roshan Kumar (Gaurav)\Lady Roseta (488.08760).doc

ज्ञापांक : DoH/SS/34/2025-प्र॰शाखा॰19(पी॰पी॰एम॰)-103-/कृ०, पटना दिनांक 06.08.,2025

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/SS/34/2025-प्र॰शाखा॰19(पी॰पी॰एम॰)-103-/कृ०, पटना दिनांक 06.08.,2025

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/SS/34/2025-प्र॰शाखा॰19(पी॰पी॰एम॰)-103-/कृ०, पटना दिनांक-06.08,2025

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक उद्यान/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी जिला उद्यान पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक उद्यान/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : DoH/SS/34/2025-प्र॰शाखा॰19(पी॰पी॰एम॰)-103-/कृ०, पटना दिनांक-06.08.,2025

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों तथा कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–01

राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2025–26 में आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद लेडी रोसेटा का क्षेत्र विस्तार की योजना के तहत् जिलावार तथा श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण

(राशि लाख रूपये में)

क्र० सं०	जिला/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य		श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य			कुल राशि
		भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय लक्ष्य @ 0.93863 लाख रू० प्रति हेक्टेयर	सामान्य @ 78.537%	अनुसूचित जाति @ 20%	अनुसूचित जनजाति @ 1.463%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहायक निदेशक उद्यान, औरंगाबाद	40	37.54520	29.48687	7.50904	0.54929	37.54520
2	सहायक निदेशक उद्यान, बाँका	40	37.54520	29.48687	7.50904	0.54929	37.54520
3	सहायक निदेशक उद्यान, बेगूसराय	40	37.54520	29.48687	7.50904	0.54929	37.54520
4	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	20	18.77260	14.74344	3.75452	0.27464	18.77260
5	सहायक निदेशक उद्यान, गया	40	37.54520	29.48687	7.50904	0.54929	37.54520
6	सहायक निदेशक उद्यान, गोपालगंज	20	18.77260	14.74344	3.75452	0.27464	18.77260
7	सहायक निदेशक उद्यान, कटिहार	20	18.77260	14.74344	3.75452	0.27464	18.77260
8	सहायक निदेशक उद्यान, खगड़िया	20	18.77260	14.74344	3.75452	0.27464	18.77260
9	सहायक निदेशक उद्यान, लखीसराय	30	28.15890	22.11516	5.63178	0.41196	28.15890
10	सहायक निदेशक उद्यान, नालन्दा	40	37.54520	29.48687	7.50904	0.54929	37.54520
11	सहायक निदेशक उद्यान, नवादा	20	18.77260	14.74344	3.75452	0.27464	18.77260
12	सहायक निदेशक उद्यान, पटना	40	37.54520	29.48687	7.50904	0.54929	37.54520
13	सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर	40	37.54520	29.48687	7.50904	0.54929	37.54520
14	सहायक निदेशक उद्यान, सारण	40	37.54520	29.48687	7.50904	0.54929	37.54520
15	सहायक निदेशक उद्यान, शेखपुरा	20	18.77260	14.74344	3.75452	0.27464	18.77260
16	सहायक निदेशक उद्यान, सिवान	20	18.77260	14.74344	3.75452	0.27464	18.77260
17	सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली	30	28.15890	22.11515	5.63178	0.41197	28.15890
	कुल योग	**520**	**488.08760**	**383.32935**	**97.61752**	**7.14073**	**488.08760**

(मो० चार करोड़ अट्ठासी लाख आठ हजार सात सौ साठ रूपये)

पवन कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार।

अनुसूची–2

Demonstration/Seed Production of Varieties Suitable for Potato Chips (per hectare)

Sl. No.	Input Applications	Applications Rate/ Hectare	Quantity Applicable	Rate/Kg	Total Cost (in Rs.)	Maximum Financial Assistance @ 75%
				(in Rs.)		(in Rs.)
1	Breeder/ Foundation/ Certified Seed	30 Q	30 Q	40.00	1,20,000.00	90,000.00
2	Seed Treatment					
i)	Boric Acid	1.5 kg	1.5 kg	200.00	300.00	225.00
3	Plant Protection					
i)	Mancozeb	2.5 kg	2.5 kg	500.00	1,250.00	937.50
ii)	Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% WP	3.0 kg	3.0 kg	1200.00	3,600.00	2,700.00
	Grand Total				**1,25,150.00**	**93862.50 or 93,863.00**

उपरोक्त मूल्य सांकेतिक है, बाजार मूल्य/सांकेतिक मूल्य जो न्यूनतम होगा, उसी के अनुसार अनुदानित राशि कृषक को अवयववार उपलब्ध करायी जायेगी।

नोट :– उपरोक्त वर्णित मद्वार राशि की स्वीकृति यूनिट कॉस्ट कमिटि की बैठक दिनांक 18.07.2024 को प्राप्त है।

पवन कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार।

अनुसूची–3
कृषि विभाग
उद्यान निदेशालय
आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद लेडी रोसेटा का क्षेत्र विस्तार की योजना का लाभ लेने हेतु एकरारनामा (गैर–रैयत कृषक)
(विहित प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि

1. मै...पिता / पति..

ग्राम...पोस्ट...पंचायत..

प्रखंड...................................जिला...................................का निवासी हूँ।

मैंने आलू की खेती का क्षेत्र विस्तार के लिए कृषक श्री...
पिता / पति...ग्राम...पोस्ट..........................
पंचायत.......................................प्रखंड..जिला...........................से
खाता संख्या.........................खेसरा संख्या.......................रकवा.................. जमीन बटाई / पट्टा पर प्राप्त किया है।

2. बटाई / पट्टा पर ली गई उपर्युक्त जमीन पर मेरे द्वारा आलू के प्रभेद लेडी रोसेटा का क्षेत्र विस्तार किया जायेगा।

3. उपर्युक्त सूचना सही है एवं किसी प्रकार का विवाद होने पर उसकी सारी जवाबदेही मेरी होगी तथा मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

कृषक का पूर्ण हस्ताक्षर

खेत के बगल के दो किसानों का नाम, हस्ताक्षर एवं मोबाईल नं०

1	गवाह का नाम एवं पता	हस्ताक्षर	मोबाईल नं०
	....	....	....
	....		
	....		
2	गवाह का नाम एवं पता	हस्ताक्षर	मोबाईल नं०
	....	....	....
	....		
	....		

सत्यापनकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर
(**पदनाम**:– कृषि समन्वयक / प्रखंड उद्यान पदाधिकारी / प्रखंड कृषि पदाधिकारी)